राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग

एक परिचय :–

राज्य में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को दी जाने वाली सुविधाओं का उचित लाभ दिये जाने हेतु विचार करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना एफ 11 (136) आर एण्डपी / सकवि / 2001 /10999 दिनांक 19.03.2001 द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का गठन किया गया था। तत्पश्चात इसे अतिक्रमित करते हुए राजस्थान राज्य में अनुसूचित जातियों के लिए पृथक से राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना एफ 11 (136) आरएण्डपी/सान्याअवि/2001/89229 दिनांक 30.11.2011 से राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया। आयोग राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों और सौंपे गये कृत्यों का निष्पादन करता है।

आयोग की संरचना :–

मनोनीत पद : 1.अध्यक्ष
2.उपाध्यक्ष
3.सदस्य

प्रशासनिक संरचना :

सचिव –1 (राज्य प्रशासनिक सेवा से)

विशिष्ठ सहायक –2 (राज्य प्रशासनिक सेवा से)

निजी सहायक –2

कनिष्ठ लेखाकार –1

वरिष्ठ लिपिक – 1

कनिष्ठ लिपिक – 2

च0श्रे0 कर्मचारी –3

आयोग सचिवः–

वर्तमान में सचिव पद पर श्री रतन लाल अटल, आर.ए.एस. कार्यरत है। मोबाईल न. 9829370310

राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल

अध्यक्ष

क्र.स	नाम	पदनाम	कार्यकाल
1.	श्री गोपाराम मेघवाल (पूर्व विधायक–सिवाना, बाडमेर)	अध्यक्ष (दर्जा राज्यमंत्री)	12.12.2011 से 23.12.2013
2.	श्री सुन्दरलाल (वर्तमान विधायक–पिलानी, झुन्झुनू)	अध्यक्ष (दर्जा केबिनेट मंत्री)	19.10.2015 से 18.10.2018
3.	श्री खिलाड़ी लाल बैरवा (वर्तमान विधायक–बसेड़ी, धौलपुर)	अध्यक्ष	19.02.2022 से लगातार..

उपाध्यक्ष

क्र.स	नाम	पदनाम	कार्यकाल
1.	श्री दिनेश तरवाडी	उपाध्यक्ष (दर्जा उपमंत्री)	09.12.2011 से 22.01.2013
2.	श्रीमती देवबाला राठौड	उपाध्यक्ष (दर्जा उपमंत्री)	12.07.2013 से 18.12.2013
3.	श्री विकेश खोलिया	उपाध्यक्ष (दर्जा उपमंत्री)	29.01.2016 से 01.01.2019
4.	श्री सचिन विष्णुदेव सर्वटे	उपाध्यक्ष	11.02.2022 से लगातार..

सदस्य

क्र.स	नाम	पदनाम	कार्यकाल
1.	श्री रामकिशन विद्यार्थी	सदस्य	01.10.2012 से 04.02.2014
2.	श्री सुरजाराम नायक	सदस्य	29.03.2016 से 01.01.2019
3.	श्री प्रताप सिंह यादव	सदस्य	28.04.2022 से लगातार..

सचिव

आयोग की कार्य एवं शक्तियाः–

आयोग राज्य की अनुसूचित जातियों की समस्याओं का समाधान करता है। इन वर्गों के आर्थिक, शैक्षणिक एवं सामाजिक विकास की योजनाओं एव उत्थान कार्यक्रमों का पर्यवेक्षणीय कार्य करता है। अनुसूचित जाति के अधिकारों एवं उनके विकास हेतु आयोग राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों एवं सौपे गये कार्यों का निष्पादन किया जाता है।

आयोग की कार्य प्रदत्ति (परिवादों की प्राप्ति, सुनवाई एवं निस्तारण) :–

आयोग अनुसूचित जाति वर्ग की विभिन्न समस्याओं के उचित एवं विधि सम्मत समाधान के लिए दृढ संकल्पित है। आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के कार्यकाल अवधि में विभिन्न जिलों में जनसुनवाई कर प्राप्त परिवादों को नियमानुसार निस्तारण हेतु सक्षम स्तर पर प्रेषित करता है। जनसुनवाई के अतिरिक्त आयोग को सीधे परिवादी से प्राप्त परिवादों को सचिव स्तर से आवश्यक अवलोकन उपरान्त सम्बन्धित जिला कलक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं सम्बन्धित विभागाध्यक्ष को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही के लिए भिजवाते हुए परिवादी को भी प्रतिलिपि की प्रेषित की जाती है। लम्बित परिवादों के निस्तारण हेतु सम्बन्धितों को समय–समय पर स्मरण पत्र भी जारी किये जाते है।